‘मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संरक्षण अभियान’’

मातृ बाल मृत्यु एवं बाल कुपोषण में कमी हेतु एकीकृत प्रयास

जनपद स्तरीय बैठक–
जनपद

जनपद स्तरीय बैठक के प्रतिभागी

1	जिलाधिकारी
2	माननीय अध्यक्ष नगर पालिका, क्षेत्रीय सांसद
3	मुख्य विकास अधिकारी
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5	जिला विकास अधिकारी
6	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस.
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
8	जिला पंचायतीराज अधिकारी
9	जिला परियोजना अधिकारी, डूडा
10	जिला नियमित टीकाकरण अधिकारी
12	समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
13	समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
14	विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनीसेफ के जनपद स्तरीय अधिकारी
15	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
16	जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक
17	जिला मॉनिटर–टी.एस.यू.

प्रस्तुतिकरण की रूप रेखा

1. कार्यक्रम का परिचय
2. अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्य
3. बैठक का उद्देश्य
4. अभियान के कार्यक्रमों का विवरण
    - कार्यक्रम की तैयारी
    - कार्यक्रम के मुख्य घटक
    - मुख्य गतिविधियाँ
    - विभिन्न विभागों की भूमिका
    - जनपद स्तरीय अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व
5. अभियान में उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई की भूमिका
6. अनुश्रवण एवं समीक्षा
7. प्रश्न उत्तर

कार्यक्रम का परिचय

आप अवगत है कि विगत वर्षों में मातृ एवं बाल मृत्यु दर में कमी आयी है, परन्तु इस दिशा में और अधिक सघन एवं एकीकृत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। शासन स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015–16 को ***मातृ एवं बाल स्वास्थ्य*** वर्ष मनाया जाना प्रस्तावित है।

- दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को इस आशय की औपचारिक घोषणा की जानी प्रस्तावित है।
- इसके पूर्व चरणबद्ध तैयारियों के अंतर्गत 1 फरवरी, 2015 से ***मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सुधार हेतु "मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान"*** चलाया जाना प्रस्तावित है।
- उक्त अभियान राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में 'उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई' के सहयोग से चलाया जायेगा।
- अभियान के प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जाएगी

इस व्यापक अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नवत् हैः

- पूर्ण टीकाकरण आच्छादन में वृद्धि (0–2 वर्ष के शिशु)
- संस्थागत प्रसवों में वृद्धि
- आधुनिक परिवार नियोजन सेवाओं के आच्छादन एवं प्रयोग में वृद्धि
- बाल कुपोषण में कमी पाँच वर्ष से कम के बच्चों का वजन तथा लंबाई की माप तथा कुपोषित बच्चों का उचित संदर्भन एवं प्रबन्धन

जनपद वार इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान के दौरान लक्ष्यों का निर्धारण शासनादेश संख्या 145/ पाँच–9–2015–9 (127)/12, दिनांक 28 जनवरी, 2015 के संलग्नक–1 अनुसार किया गया है।

जनपद स्तरीय बैठक का उद्‌देश्य

- जनपद स्तरीय अधिकारियों का शासनादेशों पर अभिमुखीकरण
- अभियान के मुख्य घटकों पर चर्चा करना
- शासनादेशों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका एवं दायित्व का निर्धारण करना
- ब्लॉक तथा ग्राम स्तरीय बैठकों के आयोजन हेतु दिवसों का निर्धारण
- ब्लॉकवार आशा भुगतान शिविरों के आयोजन की योजना बनाना

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

○ <u>अभियान की चरणबद्ध तैयारी व क्रियान्वयन</u> .

- **प्रथम चरण** में, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बैठक का आयोजन, जो कि आज किया जा रहा है।

- **द्वितीय चरण** में उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उक्त बैठक में प्रमुख रूप से प्रभारी चिकित्साधिकारी, अधीक्षक चिकित्साधिकारी/अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक बैठक में स्वास्थ्य विभाग का जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

- **तृतीय चरण** में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम सभा में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के सदस्य, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा तथा जनपद स्तर से प्रत्येक बैठक के लिए ब्लॉक स्तरीय व जनपद स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारीयों के रूप में नामित किया जाएगा।

- *ज्नपद स्तर की बैठक में ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय बैठकों की तिथियों का निर्धारण करना है*

अभियान के मुख्य घटक

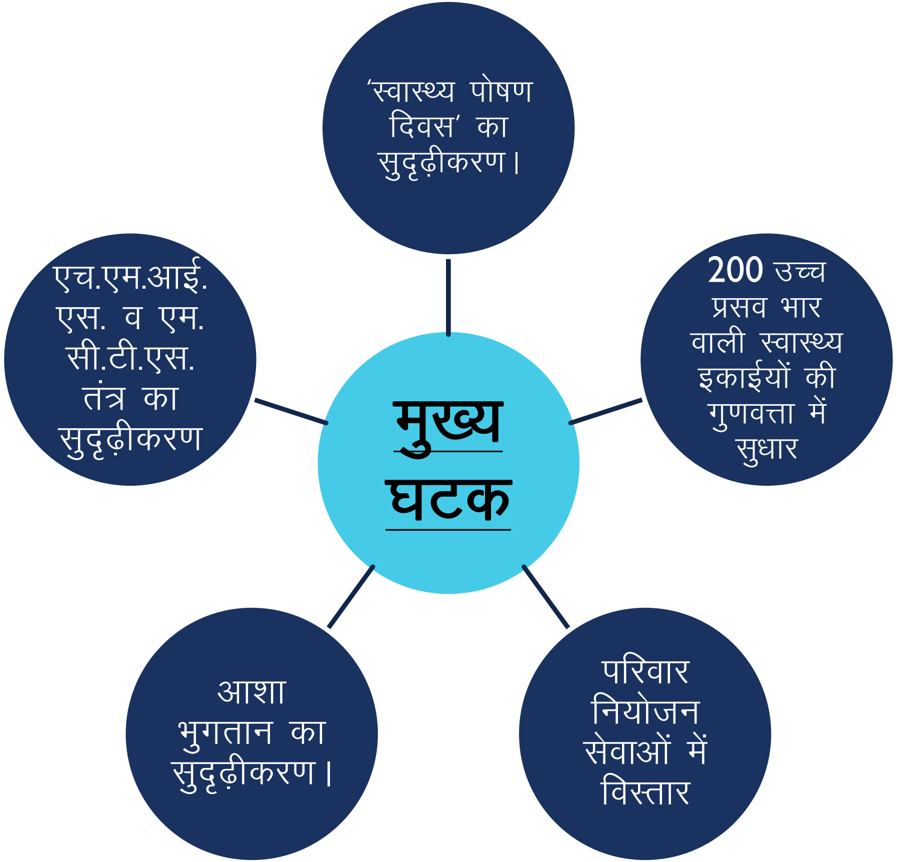

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

स्वास्थ्य पोषण दिवस

- समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य व पोषण संबंधी सेवाएँ 'स्वास्थ्य पोषण दिवस' के माध्यम से प्रदान की जाती है। अभी तक 'स्वास्थ्य पोषण दिवस' केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होती थी। परन्तु अब शहरी क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।
- 'स्वास्थ्य पोषण दिवस' के क्रियान्वयन हेतु समेकित दिशा–निर्देश शासनादेश *संख्या 146/पाँच–9–2015–9 (127)/12, दिनांक 28 जनवरी, 2015* के माध्यम से निर्गत किए गए है। इस अभियान की लक्ष्यों की प्रप्ति हेतु निम्न गतिविधियॉ की जानी है।

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधियॉ

नियमित टीकाकरण

- प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व की भांति 1000 की जनसंख्या पर प्रति माह एक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 2500 की आबादी पर प्रति माह एक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिशा निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कराना, सूक्ष्म कार्ययोजना अनुसार शत प्रतिशत सत्रों का आयोजन समस्त वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था करना, आयोजित सत्रों की सघन समीक्षा व अनुश्रवण करना।

लक्षित समूह.

❖ गर्भवती महिला (पंजीकरण एव टीकाकरण,प्रसव पूर्व 4 देखभाल एवं जाँच हेतु)
❖ 0–2 वर्ष के बच्वें (टीकाकरण,स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं व जाँच हेतु)
❖ 2–5 वर्ष के बच्चों का (टीकाकरण,स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं व जाँच हेतु)
❖ किशोरियां

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

स्वास्थ्य पोषण दिवस

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधियाँ

संस्थागत प्रसव

स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन के लिए आयी गर्भवतियों का टी.टी. टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित कराते हुए उनकी प्रसव/जन्म योजना तैयार कराना।

परिवार नियोजन

योग्य दंपत्तियों को परिवार नियोजन सेवाएँ (विशेषतः नसबंदी, प्रसवोपरांत आई.यू.सी.डी./ आई.यू.सी.डी. लगवाने हेतु) अपनाने हेतु परामर्श देना एवं प्रेरित करना।

पोषण

पाँच वर्ष से कम सभी बच्चों का वजन, लम्बाई व 1 वर्ष से बड़े व 5 वर्ष से छोटे बच्चों की उपरी बांह की मध्य भुजा की माप करा कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की पहचान, नजदीकी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक जांच (हीमोग्लोबिन, मल एवं शारीरिक जांच) हेतु संदर्भन ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें 'पोषण पुनर्वास केंद्र', बाल रोग चिकित्सक के पास संदर्भित किया जा सके।

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

- उच्च प्रसव भार वाली स्वास्थ्य इकाईयों की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्न कार्य किये जाने की आवश्यकता है

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधिया

- ज्नपद में अधिक प्रसव भार वाली इकाईयों का ब्लॉकवार चिन्हीकरण कर प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।
- आवश्यक औषधि सूची तथा आर.एम्.एन.सी.एच्.+ए. की औषधि सूची के अनुसार दवाओं तथा आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उक्त की आपूर्ति लोकल पर्चेज के माध्यम से तथा रोगी कल्याण समिति से आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
- दवाओं तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु उप मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तर पर तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी ब्लॉक स्तर पर उत्तरदायी होंगे।
- प्रथम संदर्भन इकाई पर सन्दर्भन हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- जिला महिला चिकित्सालयों प्रथम संदर्भन इकाइयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी व आई0यू0सी0डी0 निवेशन व अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर अंतराल आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सेवायें सुनिश्चित कराना।

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

- परिवार नियोजन सेवाओं में विस्तार

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधिया

- विश्लेषण कर जनपद के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहाँ समुदाय के मध्य परिवार नियोजन सेवाओं की माँग है, परन्तु उन तक परिवार नियोजन सेवायें नहीं पहुँच पा रही है, तदोपरान्त एक रणनीति विकसित कर उन सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाए।
- दूरस्थ व असेवित क्षेत्रों तक नसबंदी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित किये जाने हेतु इनमें नसबंदी शिविरों के कैलेण्डर विकसित कराए जाएँ।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने हेतु निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों/संस्थाओं आदि का एक्रिडिटेशन शासकीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
- भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन सेवाओं हेतु विकसित किये गए संशोधित मानकों के अनुसार सेवाप्रदाता चिकित्सकों का इम्पैनलमैन्ट सुनिश्चित किया जाए।
- परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना के अर्न्तगत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति'' की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाए।
- जिला महिला चिकित्सालयों प्रथम संदर्भन इकाइयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी व आई0यू0सी0डी0 निवेशन व अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर अंतराल आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सेवायें सुनिश्चित की जाए।
- सेवाकेन्द्रों पर गर्भनिरोधक सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अन्तराल विधियों की पहुँच समुदाय तक बढ़ाने हेतु ''आशा'' कार्यकत्रियों के माध्यम से गर्भनिरोधक सामाग्रियों को लाभार्थियों के द्वार तक वितरण की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए।
- आशा/ए.एन.एम. के माध्यम से ग्राम क्रमशः स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (वी.एच.आई.आर.) व लक्ष्य दम्पति रजिस्टर (ई.सी.आर.) को नियमित रूप से अद्युनांत किया जाए।

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

- आशा भुगतान का सुदृढ़ीकरण।

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधिया

- आशा कार्यकत्रियों को उनके लंबित भुगतानों के निस्तारण में निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए।
- दिसंबर, 2014 तक के लंबित भुगतानों के निस्तारण हेतु ब्लाक स्तरीय विशेष कैम्पों का आयोजन, दिनांक 15 फरवरी, 2015 तक किया जाए, जिसमें समस्त आशाएं वाउचर एवं कार्य सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होंगी।
- उनके कार्य सत्यापन, वाउचर जांच व सत्यापन एवं स्वीकृति से सम्बंधित समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति, आशा भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की उपलब्धता सहित सुनिश्चित कराना
- आशा को वाउचर भरने, सत्यापन में आने वाली छोटी–छोटी समस्याओं का तात्कालिक समाधान किया जाना। इन ब्लाक स्तरीय कैम्पों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नोडल अधिकारियों (अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी) को उत्तरदायी बनाया जाए।
- दिसंबर, 2014 तक के भुगतानों का निस्तारण इन कैम्पों के माध्यम से करने के पश्चात इस कार्य को आशाओं की ब्लाक स्तरीय मासिक क्लस्टर बैठकों के माध्यम से सुनिश्चित कराना

अभियान के कार्यक्रमों का विवरण

एच.एम.आई.एस. व एम.सी.टी.एस. तंत्र का सुदृढ़ीकरण

शासनादेश के अनुसार प्रमुख गतिविधिया

शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा भारत सरकार के वेब आधारित हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है।

- यह व्यवस्था 1 मार्च, 2015 से प्रभावी होगी। मार्च माह में स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा केवल हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पर उपलब्ध डाटा के आधार पर ही की जाएगी। इसके लिए भी पृथक से दिशा निर्देश प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा शासनादेश संख्या 144/पाँच–9–2015–9 (127)/12, दिनांक 28 जनवरी, 2015 जारी किया गया है।

हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम तंत्र के सुधार के लिए जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्य किये जाने होंगे

- जिला एवं ब्लाक स्तर पर विभाग के कार्यक्रम की समीक्षा एच.एम.आई.एस. आंकड़ों, बुलेटिन एवं डैशबोर्ड संकेतकों के आधार पर किया जाना।
- एच.एम.आई.एस. प्रपत्र में सूचना को सही प्रकार से भरे जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर 'एच.एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेकलिस्ट' के माध्यम से करना एवं इसके आधार पर प्राप्त कमियों को ठीक कराना ताकि एच.एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों एवं सूचना की गुणवत्ता सुनिश्चत की जा सके।

अभियान के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका

स्वास्थ्य विभाग: उक्त अभियान के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग, नोडल विभाग होगा स्वास्थ्य विभाग स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियॉ निम्नवत् है:

- आई.सी.डी.एस. (बाल विकास विभाग) के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करना,
- कम आच्छादन एवं दुर्गम क्षेत्रों हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करना, कार्ययोजना एवं लक्ष्य के अनुसार आवश्यक आपूर्ति निर्बाध रूप से बनाये रखना,
- पर्यवेक्षकीय कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वन सुनिश्चित करना, विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं, प्रधानो, चिकित्साधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना,
- कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार, लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि की निरंतर समीक्षा कर सुधारात्मक कार्यवाही करना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना आदि कार्यों को संपादित किया जाएगा।

बाल विकास विभाग:

- स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराना,
- लक्षित आबादी का रिकॉर्ड रखना एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यक्रम की बेहतरी हेतु आंकड़ों का साझा करना,
- लक्षित आबादी को सेवाएं लेने हेतु प्रेरित करना, कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदत्त सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना व विभिन्न विभागों को सुधार हेतु फीडबैक देना।

अभियान के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका

पंचायत राजः

- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का आच्छादन बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायतों का सहयोग सुनिश्चित करना,
- क्षेत्रीय कर्मचरियों/अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना, सुधार हेतु अवगत कराना
- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक की आपूर्ति हेतु 'ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति' की निधि के समुचित उपयोग हेतु ग्राम प्रधानों को प्रेरित करना

नगर विकास विभाग –

- नगर निकाय विभाग द्वारा प्रमुख शहरी आबादी में स्वास्थ्य एवं पोषणसेवाओं का प्रचार प्रसार करना,
- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का आच्छादन बढ़ाने हेतु नगर निकायों का सहयोग सुनिश्चित करना, दी जा रही सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
- सम्बंधित विभाग को सुधार हेतु अवगत कराना

अभियान के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका

सूचना विभागः उक्त अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, अभिमुखीकरण,प्रशिक्षण, समीक्षा बैठक से सम्बंधित सूचनाओं को प्रमुखता से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा अभियान हेतु तैयार किए गए प्रचार समाग्री का प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना आदि, सूचना विभाग का दायित्व होगा।

प्रचार–प्रसार : अभियान हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री राज्य स्तर से कार्यालय महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा तैयार की जाएगी तथा समयानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

इस के अतिरिक्त सभी विभाग अधीनस्थ अधीकारियों एवं कर्मचारियों हेतु अपने स्तर से पृथक से दिशा निर्देश भी जारी करेगें।

अभियान के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका

उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई’ के उत्तरदायित्व –

उक्त अभियान के क्रियान्वयन में उ0प्र तकनीकी सहयोग ईकाई के द्वारा सभी स्तरों पर सभी संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के द्वारा मुख्य रूप से निम्न कर्यों को संपादित किया जाएगा –

- ‘स्वास्थ्य पोषण दिवस’ के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों हेतु प्रशिक्षण मॉडयुल तैयार करना।

- प्रशिक्षण रणनीति बनाने में सहयोग करना।

- कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर समीक्षा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में सहयोग प्रदान करना।

- अभियान में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए एक टीम का गठन किया गया है, इस टीम में मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय कार्यक्रम अधिकारी तथा तकनीकी सहयोग इकाई के प्रतिनिधि है। उक्त टीम जनपद, ब्लॉक स्तरीय बैठकों के आयोजन में सहयोग करेगी, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगी तथा समीक्षा बैठकों में कार्यक्रम में सुधार हेतु फीडबैक प्रदान करेगी

जनपद स्तरीय अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

- जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का शासनादेशों पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करना
- शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, आशा भुगतान शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा एच.आई.एम.एस./ एम.सी.टी.एस. के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना
- कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करना
- दिए गए निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कराना
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आशाओं के भुगतान हेतु 15 फरवरी, 2015 तक प्रत्येक ब्लॉक में आशा भुगतान शिविर का आयोजन सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना
- समीक्षा बैठकों का आयोजन करवाना तथा कार्यक्रम की प्रगति जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वास्थ्य पोषण दिवस की संशोधित टेली शीट तथा रिपोर्टिंग प्रपत्रों पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करना
- संशोधित टैली शीट तथा रिपोर्टिंग प्रपत्रों की सॉफ्टकॉपी तथा प्रिन्ट करवाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका एवं दायित्व

- जनपद के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का शासनादेशों पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करना
- आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- सामुदायिक भागीदारी हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- मुख्य सेविकाओं के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना
- कार्यक्रम का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना
- समीक्षा बैठक में भाग लेना तथा सुधार हेतु फीडबैक देना
- अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करना

प्रभारी चिकित्साधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व

- संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट पर स्वास्थ्य कर्मियों (ए.एन.एम./स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला एवं पुरूष) का अभिमुखीकरण सुनिश्चित करना
- नियमित टीकाकरण आच्छादन में वृद्धि हेतु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म कार्ययोजना बनवाना सुनिश्चित करना
- आशा व ए.एन.एम. द्वारा लक्षित लाभार्थियों की सूची बनवाना सुनिश्चित करना
- कार्ययोजना के अनुसार सत्र आयोजित करने हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक प्रबन्धक सुनिश्चित करवाना
- ब्लाक में आयोजित किये जा रहे स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का सहयोगात्मक पर्वेक्षण सुनिश्चित करवाना
- निश्चित समयावधि के अन्दर स्वास्थ्य एवं पोषण आख्या जिले को प्रेषित करवाना
- यह सनिश्चित करना कि ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं पोषण आख्या जिले को प्रेषित करवाना
- यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक में स्वास्थ्य पोषण दिवस पर संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार गर्भवती, प्रसूता महिलाओं, 0–1 वर्ष के बच्चों, 1–5 वर्ष के बच्चों, किशोरी बालिकाओं और योग्य दम्पत्तियों को आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल क्रियान्वयन और समीक्षा हेतु आई.सी.डी.एस. विभाग और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना
- अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों का आयोजन में सहयोग करना

बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका एवं दायित्व

- ब्लॉक की सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्री और मुख्य सेविका का संशोधित दिशा–निर्देशों पर अभिमुखीकरण सुनिश्चित करवाना
- ब्लॉक में सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा 0–1 वर्ष और 1–5 वर्ष तक के लाभार्थी बच्चों की सूची बनवाना सुनिश्चित करना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस पर पोषाहार वितरण सुनिश्चित करवाना
- यह सुनिश्चित करना कि आंगनवाड़ी कायकत्री द्वारा सभी 0–5 वर्ष के बच्चों का सत्र के दौरान वजन लेकर अंकित करें
- स्वास्थ्य पोषण दिवस पर अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और सन्दर्भन सुनिश्चित करवाना
- स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल क्रियान्वयन और समीक्षा हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय सीापित करना

अभियान का अनुश्रवण एवं समीक्षा

अनुश्रवण एवं समीक्षा के मुख्य घटक है

- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही सुधार हेतु व्यवस्था और बेहतर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने हेतु एच.एम.आई.एस. के डेटा के उपयोग
- समीक्षा बैठकों के दौरान लिये गये सभी चर्चित बिन्दु और निर्णय को फॉलो–अप और सम्बन्धित हितगमियों के साथ साझा करने के लिए आख्यायित किया जाना
- **सहायक पर्यवेक्षी भ्रमण:** इससे मुख्य हस्तक्षेपों के प्रभावकारी क्रियान्वयन का फॉलो–अप सुगम बन सकेगा, साथ ही सभी स्तरों पर वास्तविक फीडबैक प्राप्त करने, रिपोर्ट करने और अन्तरिम समायोजन में सहायता मिलेगी।

अभियान का अनुश्रवण एवं समीक्षा –

- अभियान की समीक्षा तीन स्तरों पर की जाएगी, अनुश्रवण एवं समीक्षा की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी :–
  - राज्य स्तरीय – पाक्षिक
  - जनपद स्तरीय – पाक्षिक
  - ब्लॉक स्तरीय – साप्ताहिक

  जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस बैठक में मुख्य विभाग अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त अपर एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डी.पी.एम.यू. स्टाफ, एच.एम.आई.एस. एवं एम.सी.टी.एस. नोडल ऑफिसर, चीफ फार्मेसिस्ट/ड्रगस्टोर इन्चार्ज, जिला कार्यक्रम अधिकारी, टी.एस.यू. जिला टीम, अन्य विकासशील सहयोगी संस्थाए, यूनिसेफ, विश्व संगठन संगठन के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

- जनपद स्तर पर ग्रामीण/शहरी ''स्वास्थ्य पोषण दिवस'' की समीक्षा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा हेतु गठित समिति को समाप्त किया जा रहा है एवं उक्त समीक्षा का कार्य इसी समिति के द्वारा किया जाएगा। राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत जिला स्तरीय पोषण समिति हेतु शासनादेश संख्या 66/60–2–15–2 /3(27)/5 टी0सी0 दिनांक 12.01.2015 में द्वारा गठित समिति की बैठक भी उक्त समिति की बैठक के साथ ही की जायेगी।

- जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी होगें।

अभियान का अनुश्रवण एवं समीक्षा –

- **ब्लॉक स्तरीय** बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा बैठक में मेडिकल ऑफिसर इन्चार्ज समस्त चिकित्साधिकारीगण, सुपरवाईज़री स्टाफ, डी.पी.एम.यू. एव ंबी.पी.एम.यू. स्टाफ, आई.सी.डी.एस., सी.डी.पी.ओ एवं सुपरवाइज़र, फार्मेसिस्ट, कम्पयूटर ऑपरेटर (एस.एम.आई.एस) जिला टी.एस.यू., के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों महोदयों द्वारा कम से कम दो ब्लॉक स्तरीय साप्ताहिक बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा।

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नोडल अधिकारी ब्लॉक चिकित्साधिकारी/प्रभारी चिकित्सक होगें। ब्लॉक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत राज), खंड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमे ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाली विकासात्मक संस्थाए एवं गैर सरकारी संगठनो के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। इन बैठकों के कार्यवृत अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जाएगे।

<u>जिला स्तरीय – स्वास्थ्य पो’ाण समिति</u>

जनपद स्तर पर मासिक रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाएगा –

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सह उपाध्यक्ष
4.	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस.	सदस्य
6.	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी – नगरीय	सदस्य
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य
9.	जिला परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य
10	जिला नियमित टीकाकरण अधिकारी	सदस्य सचिव

जनपद स्तर पर मासिक रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाएगा –

11	समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
12	समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/ ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सदस्य
13	समस्त जिला विकास अधिकारी	सदस्य
14	विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनीसेफ के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
15	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सदस्य
16	जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबंधक	सदस्य
17	जिला मॉनिटर–टी.एस.यू.	सदस्य

अभियान का अनुश्रवण एवं समीक्षा –

इन बैठकों के विशेष उद्देश्य हैं :

- 1) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र और समुदाय के स्तर पर सर्विस डिलीवरी (आच्छादन और गुणवत्ता) ओर आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक और अपूर्ति तथा मानव संसाधन (क्षमता वर्धन एवं यौक्तिकता (rationalization) की समीक्षा करना
- 2) एच.एम.आई.एस. रिपोर्टों और बुलेटिन की समीक्षा में चिन्हित चरम महत्व की कमियों की पहचान और उनका समाधान निकालना
- 3) सेवा डिलीवरी केन्द्रों पर किये गये सहायक पर्यवेक्षी भ्रमणों के दौरान चिन्हित मुद्दों अथवा कार्य निष्पादन
- 4) चरम महत्व की कमियों को दूर करने हेतु संसाधनों का आंकलन और उनका उपयोग
- 5) उच्च स्तर पर साझा करने के उद्देश्य से प्रगति, चिन्हित कमियों और कृत कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करना

अभियान का अनुश्रवण एवं समीक्षा –

- **उक्त समीक्षा बैठकों का अपेक्षित परिणाम निम्नवत् है :–**
    - प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण
    - समस्या निवारण एवं सुधारात्मक कार्यवाही
    - बैठक की कार्यवृत्ति के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करना।

समीक्षा को प्रभावी बनाने हेतु शासनादेश के संलग्नक–4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

एच.एम.आई.एस.

- **मासिक और साप्ताहिक एच.एम. आई.एस. रिपोर्ट/बुलेटिनः** इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही सुधार हेतु व्यवस्था और बेहतर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने हेतु एच.एम.आई.एस. के डेटा के उपयोग को जिलों में उत्प्रेक्षित करना। प्रणाली को सश्क्त बनाने और डेटा की गुववत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एच.एम.आई.एस. डेटा/बुलेटिन की समीक्षा को सुनिश्चि करना।

अनुश्रवण

- **प्रवृत्ति एवं क्षेत्र अनुश्रवण की प्रगति(सरकार और भागीदार):** इससे मुख्य हस्तक्षेपों के प्रभावकारी क्रियान्वयन का फॉलो–अप सुगम बन सकेगा, साथ ही सभी स्तरों पर वास्तविक फीडबैक प्राप्त करने, रिपोर्ट करने और अन्तरिम समायोजन में सहायता मिलेगी।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

- **सहायक पर्यवेक्षी भ्रमणों का मुख्य अवलोकन बिन्दुः** इससे निदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और टी.एस.यू. के टीम सदस्यों द्वारा मुख्यतः सुझाये गये बिन्दुओं के अनुसार प्राप्त परिणामों, स्थानीय स्तर की कार्यवाहियों और आवश्यक सहयोग के फॉलो–अप में सहायता प्राप्त होगी।

रिपोर्टिंग फ्लो

उत्तरदायी व्यक्ति	स्तर	कार्य	टाइमलाइन
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सुविधा/समुदाय	• एस.एस. चेकलिस्ट– सुविधा एवं एच.एम.आई.एस. • ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के चेकलिस्ट अनुश्रवण • ब्लॉक रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड (वीएचएनडी, एच.आई.एम.एस., केपीएल, एकाउण्ट, रिपोर्ट)	जनपद को प्रत्येक माह के 3 एवं 18 तारीख को रिपोर्ट करना
	ब्लॉक	• ब्लॉक स्तर पर चेकलिस्ट डेटा को संकलित करना • ब्लॉक रिपोर्ट एवं रजिस्टर के माध्यम से डेटा का निष्कर्षण करना। • साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सम्बन्धित डेटा का विश्लेषण करना	
चिकित्सा अधिकारी	जनपद	• समीक्षा बैठक एवं अनुश्रवण प्रपत्र के उपयोग से ब्लॉक डेटा का संकलन करना। • ब्लॉक स्तरीय डेटा का विश्लेषण तथा पाक्षिक बैठक में समीक्षा	मण्डल को प्रत्येक माह के 5 एवं 20 तारीख को
अपर निदेशक परि0 क0	मण्डल	• जनपद स्तरीय डेटा को संकलित कर राज्य में अग्रसारित करना।	राज्य को प्रत्येक माह के 6 एवं 21 तारीख को
रा.स्वा. मिशन/निदे. परि. कल्याण/तक.सह.इका.	राज्य	• ब्लॉक/जनपद स्तरीय डेटा का विश्लेषण तथा पाक्षिक बैठक में समीक्षा	

समीक्षा बैठकों का अभिलेखीकरण

बैठक के कार्यवृत्त बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए :—

- अंतिम समीक्षा बैठक के दौरान प्रगति एवं लिया गया निर्णय
- मुख्य कार्यवाही योग्य बिन्दु — किस स्तर से कार्यवाही की जानी है (सुविधा, ब्लाक, जनपद अथवा राज्य) नाम एवं पदनाम के साथ (सहयोगी पार्टनर्स/जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, अन्य विशेषज्ञ अथवा रिसोर्स परसन) उत्तरदायी एवं टाइमलाइन।

क्रम सं.	कार्यवाही योग्य बिन्दु	स्तर	उत्तरदायी व्यक्ति	टाइमलाइन

- अंतिम कार्यवाही रिपोर्ट का अनुसरण करना।
- प्रतिभागियों की सूची
- उप राज्य स्तरीय बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर उच्च स्तर पर तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना।

FORMATS FOR MONITORING AND REVIEW

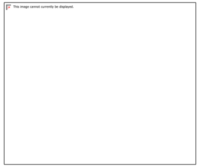

Government Orders

MCH-G.O

VHND/UHND-G.O

Family Planning-G.O

FP Private Sector-G.O

HMIS-G.O

धन्यवाद